प्रकरण संख्या 18/2022 श्रीमती गट्टु बनाम उदयलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.11.2022	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोखमपुरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 31, 32, 34, 36, 40 कुल किता 5 रकबा 2.4363 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 2923/7224 वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/24, प्रतिवादी संख्या 4 का 1291/7224 व प्रतिवादी संख्या 4 का 7/24 हिस्सा अंकित होकर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से प्रतिवादीगण रूकावट पैदा करते हैं। अतः उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.05.2022 को वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा दिनांक 23.06.2022 को आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 जा. दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में दोतरफा निर्णय करने का निवेदन किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 26.08.2002 से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 जा.दी. खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.09.2022 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.05.2022 को अपीलान्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए उसी दिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का शपथ पत्र पेश किया गया एवं अन्य गवाह पेश नहीं करना चाहते है एवं उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली आदेश में रखकर अपीलान्टगण के विरूद्ध दिनांक 24.05.2022 को एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपीलान्टगण द्वारा अविलम्ब आदे[illegible]यम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया [illegible] ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अ[illegible]ट/प्रार्थीगण द्वारा आदेश 9 नियम 14 की पालना नहीं की ग[illegible] है, जो कानून के [illegible] है, क्योंकि आदेश 9 नियम 14 के प्रावधान वहां लागू होते हैं जहां	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:01:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी कर दी जाती है, लेकिन वर्तमान प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी नहीं हुई है तथा प्रकरण अंतिम डिक्री के लिए विभाजन योजना के इन्तजार में नियत था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.05.2022 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उसी दिन वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का शपथ पत्र लेकर एवं वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.05.2022 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जिसे दोतरफा करते हेतु अपीलान्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 9 नियम 14 जा.दी. के आधार पर खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.08.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:01:24 IST
Reason: SelfAttested